कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

पत्रांक : कु0स0–सम्बद्धता/1237/विविध आ0–18–2013/2015, दिनांक: 24 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबंधक,
समस्त राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध–महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
एवं
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

विषय : सत्र 2017–18 के दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप दिनांक **23.10.2017** को अपराह्न 4.30 बजे जिलाधिकारी, वाराणसी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर सम्पन्न बैठक में जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी द्वारा शासनादेश सं0 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के सन्दर्भ में विवरण सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को अवगत कराये जाने का निर्देश प्रदान किया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के कम में जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा प्राप्त निर्देश के कम में अपने संस्थान/महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले निर्धारित शुल्क का विवरण तत्काल सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें साथ ही यदि शासनादेश से इतर शुल्क छात्र/छात्राओं से लिया जा रहा है तो शुल्क निर्धारण का प्रमाण भी सम्बंधित समाज कल्याण अधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– शासनादेश दिनांक 02.07.2003

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय कुलपति जी सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी–वाराणसी, चन्दौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं बलिया।
3. जिला समाजकल्याण अधिकारी–वाराणसी, चन्दौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं बलिया।
4. **प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी,** को इस आशय के साथ कि उपर्युक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सम्पादक सम्मानित समस्त समाचार पत्रों को इस आशय से कि जनहित में सूचना प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. प्रभारी, विशेष प्रकोष्ठ।

कुलसचिव

8

2. प्रकीर्ण

18

संख्या : 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002

प्रेषक,

आर. रमणी, प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।

2. कुलसचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 | *लखनऊ : दिनांक : 02 जुलाई, 2003*

विषय : राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त अनानुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

मा. उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 317/93 *टी.एम.ए. पाई फाउण्डेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य* में दिनांक 31.10.2002 को पारित निर्णय में शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया, तर्कसंगत शुल्क निर्धारण करने तथा शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धन आदि के सम्बन्ध में व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। मा. उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 1960/सत्तर-2-97-2(85)/97, दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के प्रस्तर- 1(अ) के उप प्रस्तर-4 और 5 तथा प्रस्तर-1(ब) के उप प्रस्तर-1 (क) तथा ग में वर्णित तीन तरह की सीटों नार्मल सीट, सेल्फ सपोर्टिंग सीट तथा एन.आर.आई./एन.आर.आई. स्पांसर्ड सीटों का वर्गीकरण प्रत्येक वर्ग हेतु सीटों का निर्धारित प्रतिशत तथा उक्त सीटों के लिये निर्धारित अधिकतम शुल्क की दरों के विनिश्चय सम्बन्धी आदेशों को शासनादेश संख्या 2256/सत्तर-2- 2003-2(85)/97 दिनांक 27 मई, 2003 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

2. मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त अनानुदानित शैक्षिक संस्थाओं /स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया तथा तर्कसंगत शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत सभी पूर्व आदेशों को अवक्रमित करते हुये प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेशित सभी छात्रों से समान रूप से एक शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया है साथ ही साथ उक्त संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया तथा तर्कसंगत शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में भी शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं।

(1) अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं से इतर संस्थाओं व स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में ए.आई.सी.टी.ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) तथा ए.आई.सी.टी.ई. के परिक्षेत्र से बाहर आने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेन्सी से सिंगल विन्डो सिस्टम के माध्यम से 85 प्रतिशत सीटों पर विद्यार्थियों को शिक्षण सत्र 2003-04 से प्रवेश दिया जायेगा तथा शेष 15 प्रतिशत सीटों पर छात्रों का प्रवेश निजी प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदित पारदर्शी तथा तर्कसंगत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा और किसी भी दशा में इसका विचलन नहीं किया जायेगा।

(2) अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा संचालित अनानुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में ए.आई.सी.टी.ई.तथा ए.आई.सी.टी.ई. के परिक्षेत्र से बाहर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु 50 प्रतिशत सीटों पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से सिंगल विन्डो सिस्टम द्वारा छात्रों को शिक्षण सत्र 2003-04 से प्रवेश दिया जायेगा। विशेष 50 प्रतिशत सीटों पर छात्रों का प्रवेश सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पारदर्शी तथा तर्कसंगत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रबन्धकों द्वारा किया जायेगा और किसी भी दशा में इसका विचलन नहीं किया जायेगा।

(3) अनानुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में ए.आई.सी.टी.ई. के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क सीमा रु. 19000/- प्रतिवर्ष प्रति छात्र तथा ए.आई.सी.टी.ई. के परिक्षेत्र से बाहर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क सीमा रु.13000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष निर्धारित करने का परामर्श दिया जाता है। उक्त सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से सिंगल विन्डो सिस्टम से प्रविष्टि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं मेधावी छात्रों को अधिकतम निर्धारित शुल्क सीमा में से रु. 5000/-तक की छूट सम्बन्धित शैक्षिक संस्था द्वारा प्रदान की जा सकती है।

(4) स्नातक स्तर पर सामान्य शिक्षा यथा बी.ए., बी.एस.सी., बी.काम, पाठ्यक्रमों के लिये शुल्क सीमा रु. 5000/-प्रति छात्र प्रतिवर्ष पूर्ववत रखा जाय एवं स्नातकोत्तर स्तर के सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों यथा एम.एस.सी., एम.काम. के लिये शुल्क सीमा रु. 6000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष रखा जाय।

3. उल्लिखित प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर (3) तथा (4) में निर्धारित शुल्क सीमा केवल सम्बद्ध/सहयुक्त अनानुदानित शिक्षण संस्थाओं /स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों पर ही लागू होगी।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि उक्त शिक्षण संस्थान शिक्षा की गुणवत्ता/ अवस्थापना सुविधाओं पर विपरीत प्रभाव डाले बिना शासन द्वारा निर्धारित शुल्क सीमा या शासन द्वारा निर्धारित शुल्क सीमा या शासन द्वारा प्रस्तावित छूट की सीमा से कम शुल्क विद्यार्थियों से प्राप्त कर पाठ्यक्रम संचालित करना चाहती है तो वे इसके लिये निर्णय ले सकती है किन्तु प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेशित सभी छात्रों से समान रूप से एक ही शुल्क लिया जायेगा। तर्कसंगत शुल्क हेतु उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित सीमा से कोई शिक्षण संस्था किसी पाठ्यक्रम विशेष में यदि अधिक शुल्क प्राप्त करना चाहती है तो वे शासन को पूरे औचित्य एवं सुसंगत अभिलेखों सहित अपना प्रस्ताव यथासमय प्रस्तुत करेगी तथा शासन के अन्तिम निर्णय एवं अनुमति के उपरान्त किसी पाठ्यक्रम विशेष में शासन द्वारा निर्धारित की गयी शुल्क सीमा से अधिक शुल्क प्राप्त कर सकेगी।

5. उक्त शिक्षण संस्थाओं से किसी पाठ्यक्रम विशेष में अधिक शुल्क प्राप्त करने विषयक प्रस्ताव पर निम्नलिखित समिति सम्यक विचारोपरान्त संस्तुति प्रस्तुत करेगी—

(1) प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग अथवा उनके द्वारा अधिकृत विशेष सचिव।

(2) प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग अथवा उनके द्वारा अधिकृत विशेष सचिव।

(3) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा अधिकृत विशेष सचिव।

(4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, अथवा उनके द्वारा अधिकृत विशेष सचिव।

शासन द्वारा उक्त संस्थाओं के प्रस्ताव पर उक्त समिति की संस्तुतियों के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

6 प्रत्येक स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्था पाठ्यक्रमों के संचालन का आय व्ययक का लेखा जोखा रखेगी एवं उसे प्रत्येक वर्ष शासन को उपलब्ध करायेगी।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले सभी सम्बद्ध/सहयुक्त अनानुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में इस शासनादेश में उपरोक्तानुसार प्राविधानित व्यवस्था को लागू किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
ह./- आर. रमणी
प्रमुख सचिव।

संख्या : 2851(1)/सत्तर-2-2003- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, कृषि शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
6. उच्च शिक्षा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
ह./- बी.डी. जोशी
संयुक्त सचिव।

19

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या-592/2004- सोलह-1-5 (डब्ल्यू-48)/2003

कार्यालय आदेश

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 *लखनऊ : दिनांक : 20 फरवरी, 2004*

विषय : प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र की चिकित्सीय अभियंत्रण संस्थाओं में परास्नातक, स्नातक व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों तथा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु स्थायी समिति का गठन।

मा० उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा रिट पिटीशन संख्या-317 सन् 1993 *टी.एम.ए.पाई. फाउंडेशन एवं अन्य बनाम स्टेट आफ कर्नाटक एवं अन्य* में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2002 के अनुक्रम में याचिका संख्या-350/1993 *इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य* में पारित आदेश दिनांक 14.08.2003 में दिये गये दिशा निर्देशों के आलोक में चिकित्सा शिक्षा/शिक्षा विभाग के अधीन प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों/बी.एड. तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण /व्यावसायिक पाठ्यक्रमों वाली संस्थाओं में सामान्य सीट एवं मैनेजमेंट कोटे की सीटों का प्रतिशत निर्धारित करने तथा निष्पक्ष एवं

प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश
प्राविधिक शिक्षा विभाग
संख्या–115/प्र०फी०नि०स०/2016
लखनऊ दिनांक 7 नवम्बर, 2016

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) नियमावली 2015, अधिनियम 2006 की धारा–14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–4781/सोलह–1–14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

नियमावली –2015 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2017–18 से मानक शुल्क निर्धारित किया जाना है। प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा वर्ष 2017–18 हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया है:–

(क) निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं हेतु–

क्रम	पाठ्यक्रमों का नाम	मानक शुल्क (रुपया)
[illegible]	बी०टेक० / [illegible] / बी०फार्म० / [illegible] / [illegible]	65,000.00
[illegible]	बी०एच०एम०सी०टी०	73,050.00
[illegible]	एम०बी०ए० / एम०सी०ए० / एम०टेक० / एम०फार्म० / एम०आर्क०	58,000.00

(ख) निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क

क्रमांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित शुल्क
1	तीन वर्षीय इंजीनियरिंग / फार्मेसी तथा होटल मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम	रु० 30000.00
[illegible]	दो एवं एक वर्षीय सभी अन्य पाठ्यक्रम	रु० 21500.00

(ग) सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क

क्रमांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित शुल्क
1	समस्त पाठ्यक्रमों हेतु	रु० 19000.00

जो संस्थाएं उपरोक्त निर्धारित मानक फीस को स्वीकार करना चाहती हैं वे समिति की वेबसाइट www.afrcup.in पर अपना ऑन लाइन आवेदन/स्वीकृति पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध करायेंगी।

4. ऐसी संस्थायें जो उक्त निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती हैं, वे उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015 के विनियम 4 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 तक अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव लेखा विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित वेबसाइट www.afrcup.in पर प्रस्तुत करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय (सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति बारामण्डी चौराहा चारबाग लखनऊ) को उपलब्ध करायें।

5. समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि मानक शुल्क से सहमति अथवा असहमति की स्थिति में अपना विकल्प आवेदन के माध्यम से देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका शुल्क निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं होगा।

मोनिका एस0गर्ग
प्रमुख सचिव / अध्यक्ष

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निदेशक / प्राचार्य, उ0प्र0 में संचालित निजी क्षेत्र के डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय समस्त अभियन्त्रण एवं व्यवसायिक संस्थान।
(2) कुलसचिव ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(3) उपसचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
(4) प्रमुख सचिव सचिव, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विभाग।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(डा0 वी0एस0 सिंह)
सचिव